(ग) विदेशों में रोजगार के लिये भारतीय श्रमिकों के लिये संभावनाओं के संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में भारतीय श्रमिकों के शोषण से संबंधित मामलों को विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के साथ उठाया जाता है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों को भी निर्देश दिये जाते है कि वे विदेशी नियोक्ताओं के परामर्श से भारतीय श्रमिकों की समस्याओं को हल करें। अधिकांश मामलों में भारतीय मिशन तथा पंजीकृत भर्ती एजेंट श्रमिकों की समस्याओं को हल करने में सफल रहते है।

(घ) सरकार जनशक्ति निर्यात के कारबार में सीधे संलग्न नहीं है। इसके बजाए, सरकार की भूमिका नियोजन प्रक्रिया को विनियमित करने तक सीमित है। यह नियोजन पंजीकृत भर्ती एजन्टों के माध्यम से किया जाता है। पंजीकृत भर्ती एजेंट भारतीय श्रमिकों का चयन विदेशी नियोक्ताओं से प्राप्त मांग पत्रों तथा मुख्तारनामें के आधार पर करते हैं। जब कभी पंजीकृत भर्ती एजेन्ट समाचार पत्रों के माध्यम से बायोडाटा मंगाने और/या साक्षात्कार करने के लिये विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं, तब इच्छुक अभ्यर्थी सीधे पंजीकृत भर्ती एजेंटों से सम्पर्क करते हैं। तथापि सरकार एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का प्रस्ताव कर रही है जो, गठित हो जाने के बाद, जनशक्ति निर्यात के क्षेत्र में सलाहकारी एंव संवर्धनकारी कार्य करेगा।

Central Legislation for Agricultural Workers

*85. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have dropped the idea of enacting a Central legislation for the comprehensive protection and uplift of agricultural workers;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the status of proposed bill and the tentative time schedule for an early enactment?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) No, Sir.

(c) A proposal for enacting a Central legislation to protect the interests of the agricultural labourers in the country is at the stage of consultation with various Ministries/Departments.

Decline in Exports

*86. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the reaons for the sharp decline in India's exports during April-December, 1998; and

(b) what steps are being taken to revitalize India's export promotion *strategies and programmes?*

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) As per the provisional data received from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), during April-December 1998-99, exports registered a decline of 2.88% in dollar terms and a growth of 11.7% in rupee terms. The deceleration of exports is mainly due to South East Asian crisis and world wide recession.

(b) Export promotion measures are continuously being taken by the Government through changes in policies and procedures for providing an export friendly environment, involvement of States in export promotion and consultation with trade and industry. A number of steps have been taken to promote exports which include lowering of interest rates on export credit, reduction in transaction cost through decentralisation and simplification of procedures and various other meaures as enumerated in the Exim Policy. Steps have also been taken to promote exports through multilateral and bilateral initiatives, identification of thrust sectors and focus regions. The Government is also initiating action thorugh several measures to facilitate investment in

sectors with strong export potential, encourage diversification of India's export basket, address infrastructure short comings, improve export facilitation measures and thus enhance the overall competitiveness of Indian exports. The Government is according high priority to exports and all necessary steps are being taken to put exports on high growth trajectory.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में दिये गये ऋण

*87. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में वर्ष-वार कितने बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराए गये;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से कितने युवक लाभान्वित हुये?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों तथा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में वास्तविक लक्ष्यों को (सहायता दिए जाने वाले युवाओं की संख्या की दृष्टि से) आवंटित करती है। लक्ष्यों का जिला-वार आवंटन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा राजसहायता, प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के लिए निधियां उपलब्ध करके सहायता की जाती है। तथापि, परियोजना के लिए अधिकांश सहायता राशि अभिज्ञात युवाओं हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से प्राप्त होती है।

(ग) इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपर्युक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान अखिल भारतीय आधार पर 634775 युवाओं को ऋण का संवितरण किया गया है।

विवरण

1995-96, 1996-97, और 1997-98 के दौरान चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों तथा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन ऋण लेने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या।

(राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार)

1995-96

क्र॰ सं॰	जिले/राज्य का नाम	योजनागत लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृतियां (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरण (संख्या)	संवितरित राशि (लाख रु॰ में)
1.	चमोली	242	157	154	58.27
2.	पौड़ी गढ़वाल	364	271	193	74.12
3.	टेहरी गढ़वाल	296	247	227	101.91
4.	उत्तर प्रदेश	35813	37324	30819	16727.61